| | |
|---|---|
| 12/8/24 | पत्रावली वादी अर्जेंट आवेदन पर निर्णय हेतु पेश हुई। सुनी गयी उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध प्रपत्रादि व अर्जेंट आवेदन का अवलोकन किया गया। |

चूंकि मूल वाद बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का था परन्तु वर्तमान में वादी उक्त भूमियों का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है व ज्यादातर भूमियों का आबादीय संपरिवर्तन भी हो गया है।

अतः वर्तमान वाद में वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा न होने से वादी बंटवारे का दावा नहीं चला सकता व खातेदार नहीं होने से वादी रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी नहीं चला सकता न ही वादी ने कोई उक्त अबेट आवेदन का प्रभाव पेश किया न ही इस संबंध में कथन किया की अन्य लोग उक्त भूमियों के पूर्व वादी की जगह रिकॉर्डेड खातेदार हो गये। अतः कोई specific denial भी अबेट आवेदन का पेश नहीं करने से रिकॉर्डेड खातेदार न होने से, ज्यादातर भूमियों का संपरिवर्तन होने से उक्त बंटवारे व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का वादी हकदार नहीं है।

अतः वादी का वाद अबेट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।